

6 pages



1/27/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-8-05

क्रमांक- 27/2017

आरबीई सं0-116/2016

सं0 ई/213/पीसी/73/6/भाग-IX/चार

दिनांक 06-03-2017

सचिव/महाप्रबन्धक,
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-कतिपय ग्रुप-सी संवर्गों की पुनर्संरचना-कारिगर कर्मचारी।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या पीसी-111/2016/सीआरसी/1 दिनांक 30.09.2016, जिसकी अंग्रेजी प्रतिलिपि इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.10.2016 (क्रमांक-162/2016) द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है, की पुन हिन्दी प्रतिलिपि सूचना मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

Singh 06.03.17
(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

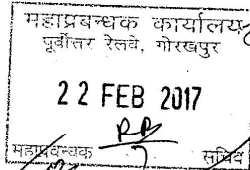
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 5- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

Singh 06.03.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

27/3/17

R
01/3/2017



10 CPO
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

2
27/2/2017

pl. circulate.
A.K.
01/03

सं. पीसी-III/2016/सीआरसी/1

आरबीई सं. 116/2016
नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2016

महाप्रबंधक/महानिदेशक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन आदि तथा
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान.

विषय: कतिपय ग्रुप-सी संवर्गों की पुनर्संरचना-कारीगर कर्मचारी।

फेडरेशनों द्वारा रेलवे बोर्ड के समक्ष कारीगर कर्मचारियों/तकनीशियनों के संवर्ग की पुनर्संरचना का मुद्दा उठाया गया था। इस मामले की जांच की गई है और कार्यात्मक, परिचालनिक और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि कारीगर कर्मचारियों/तकनीशियनों (सिगनल मैटेनरों पूर्ववर्ती ईएसएम/एमएसएम को छोड़कर) के संवर्ग की नीचे दी गई तालिका में दिए गए संशोधित प्रतिशत के अनुसार पुनर्संरचना की जानी चाहिए:

कोटि	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन संरचना (लेवल)	ग्रेड (ग्रेडों) के मर्जर के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
वरिष्ठ तकनीशियन/एमसीएम	लेवल-6	16	26
तकनीशियन ग्रेड-I	लेवल-5	44	51
तकनीशियन ग्रेड-II	लेवल-4	20	8
तकनीशियन ग्रेड-III	लेवल-2	20	15

इन आदेशों को कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का सावधानीपूर्वक और कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

प्रभावी होने की तारीख

1. कारीगर संवर्ग/तकनीशियनों (सिगनल मैटेनरों पूर्ववर्ती ईएसएम/एमएसएम को छोड़कर) की पुनर्संरचना 01.09.2016 की स्थिति के अनुसार संवर्ग के स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी। इन आदेशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा जाएगा, वे 01.09.2016 से उच्चतर ग्रेडों में वेतन प्राप्त करेंगे। पुनर्संरचना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो निर्धारित तारीख (कट ऑफ तारीख) अर्थात् 01.09.2016 को किसी संवर्ग विशेष में कार्य कर रहा हो।

विभिन्न संवर्गों में
ग्राह्यता

2. ये आदेश ओपन लाइन संस्थापनाओं, जिसमें वर्कशॉप, उत्पादन इकाइयां, अ.अ.मा.सं. और केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल हैं, के स्थाई नियमित संवर्ग (सरप्लस एवं अधिसंख्य पदों को छोड़कर) के लिए लागू होंगे। संशोधित प्रतिशत को लागू करने के प्रयोजन के लिए केवल उन अस्थाई पदों को ध्यान में रखा जाए जो कम से कम तीन वर्ष से परिचालन में हों। इसके लिए प्रमाण दिया जाना अनिवार्य होगा कि ये पद ऐसे नियमित कार्यकलापों के लिए हैं, जो जारी रहेंगे और ये किन्हीं छुट-पुट आवश्यकताओं के लिए न हों।

R 453
01.03.17

3
27/2017

- 2.1 ये आदेश केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के स्थाई संस्थापना में निहित ऐसे कारीगर कर्मचारियों/तकनीशियनों के नियमित ग्रुप 'सी' पदों के लिए भी लागू होंगे, जो राजस्व प्रभारित हों और एवीसी, ग्रेड संरचना, पदनाम और भर्ती के पैटर्न के मामले में क्षेत्रीय रेलों की समान कोटियों जैसे ही हों।
- 2.2 ये आदेश ऐसे संवर्ग बाह्य और कार्यप्रभारित पदों के लिए लागू नहीं होंगे, जो कार्य की आवश्यकता के आधार पर बने रहेंगे।
- 2.3 ये आदेश निर्माण इकाइयों और परियोजनाओं के लिए भी लागू नहीं होंगे, जहां सामान्यतौर पर पदों को कार्य की आवश्यकता के आधार पर सृजित किया जाता है। इन इकाइयों में पदों के सृजन के लिए निधि की उपलब्धता और इसके लिए विद्यमान नियमों को ध्यान में रखकर सामान्यतौर पर ओपन लाइन/उत्पादन यूनिटों की भांति ही पदों के प्रतिशत वितरण को ध्यान में रखा जाए।

वेतन निर्धारण

3. पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उच्चतर ग्रेड के पदों पर पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों (क्रमानुसार/परिणामी रिक्तियों सहित) का वेतन, विद्यमान नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण के सामान्य विकल्प के साथ एक वेतनवृद्धि के लाभ के साथ आरएस (आरपी) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

मौजूदा वर्गीकरण और रिक्तियों को भरना

4. पदों के विद्यमान वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कारीगर कर्मचारियों/तकनीशियनों (सिगनल मैटेनर-पूर्ववर्ती ईएसएम/एमएसएम को छोड़कर) के संवर्ग पुनर्संरचना का लाभ विद्यमान नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित अपेक्षित उपयुक्तता/ट्रेड परीक्षा पास करने पर ही प्रदान किया जाएगा।

- 4.1 01.09.2016 को विद्यमान सामान्य रिक्तियों (सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों को छोड़कर) और इस संवर्ग पुनर्संरचना से उस तारीख से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों, जिसमें क्रमानुसार/परिणामी रिक्तियां शामिल हैं, को निम्नलिखित क्रम में भरा जाना चाहिए:

(i) 01.09.2016 को अथवा उससे पहले अनुमोदित ऐसे पेनलों/चयन सूचियों से, जो उस तारीख को वैध हों।

(ii) ऐसे पेनलों/चयन सूचियों से जिन्हें चालू ट्रेड टेस्ट/उपयुक्तता टेस्ट के आधार पर बनाए जाने की संभावना है।

(iii) और शेष को ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित तरीके से।

- 4.2 02.09.2016 से उत्पन्न होने वाली सभी सामान्य रिक्तियों को सामान्य उपयुक्तता/ट्रेड टेस्ट की प्रक्रिया से भरा जाएगा।

- 4.3 इस संवर्ग पुनर्संरचना के कारण ही उत्पन्न होने वाली सभी रिक्तियों (जिसमें क्रमानुसार/परिणामी रिक्तियां शामिल हैं) को ऊपर पैरा 4.1 में उल्लिखित तरीके से वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा भरा जाना चाहिए।

4
27/2017

और उन्हें पदोन्नति का लाभ 01.09.2016 से दिया जाना चाहिए जबकि 01.09.2016 को विद्यमान सामान्य रिक्तियों पर कनिष्ठ कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए। परन्तु वे सामान्य नियमों के अनुसार उन पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नति और उच्चतर वेतन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 01.09.2016 से पदोन्नति का विशेष लाभ केवल संवर्ग पुनर्संरचना के कारण उत्पन्न रिक्तियों के लिए उपलब्ध होगा और अन्य रिक्तियों के लिए, रिक्ति को भरने की तारीख से संभावित पदोन्नति के सामान्य नियम लागू होंगे।

4.4 ऐसे मामलों, जहां निम्नतर ग्रेड में प्रतिशत को कम कर दिया गया है और पुनर्संरचना के कारण कोई अतिरिक्त पद उपलब्ध नहीं होता है, में 01.09.2016 को मौजूदा रिक्तियों को सामान्य उपयुक्तता/ट्रेड टेस्ट प्रक्रिया द्वारा भरा जाना चाहिए।

4.5 वे कर्मचारी जो इन आदेशों को लागू होने की तारीख तथा इन आदेशों के वास्तव में कार्यान्वित होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो जाएं, त्यागपत्र दे दें, मृत्यु हो जाए अथवा मैडीकल आधार पर विकोटीकृत हो जाएं, तो इन आदेशों के अन्तर्गत 01.09.2016 से वेतन निर्धारण का लाभ और बकाया राशि पाने के पात्र होंगे।

5. इन आदेशों के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान करने के लिए इन आदेशों के लागू होने की तिथि के संदर्भ में डीएण्ड/सतर्कता क्लीयरेंस से संबंधित मौजूदा अनुदेश लागू होंगे।

प्रत्येक ग्रेड में सेवा के न्यूनतम वर्ष

6. पुनर्संरचना आदेशों को कार्यान्वित करते समय, समय-समय पर जारी पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा की न्यूनतम अवधि के संबंध में अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। बहरहाल, विभिन्न कोटियों में पदोन्नति के लिए निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की छूट देने पर विचार करते समय महाप्रबंधक व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे के संरक्षा पहलू के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मूल कार्य इयूटी तथा दायित्व

7. चूंकि कारीगर कर्मचारियों/तकनीशियनों (सिगनल मेन्टेनरों पूर्ववर्ती ईएसएम/एमएसएम को छोड़कर) के संवर्ग की पुनर्संरचना कार्यात्मक, परिचालनिक तथा प्रशासनिक आधार पर की जा रही है इसलिए पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप जिन पदों को उच्चतर वेतनमान में रखा जाता है उन्हें ज्यादा महत्व की इयूटी और दायित्व दिए जाने चाहिए।

अतिरिक्त पदों का समायोजन

8. यदि इन अनुदेशों को जारी करने से पूर्व किसी खास संवर्ग में किसी ग्रेड में पदों की संख्या, संशोधित प्रतिशत के अनुसार स्वीकार्य संख्या से ज्यादा हो तो अतिरिक्त पदों को जारी रहने की अनुमति दी जाए और उन्हें मौजूदा पदधारियों द्वारा पदों को रिक्त करने के साथ-साथ उत्तरोत्तर रूप से समाप्त कर दिया जाए।

आरक्षण का प्रावधान

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण के संबंध में मौजूदा अनुदेश, जहाँ-कहीं लागू हों, वे जारी रहेंगे।

4
27/2017

पदों की पिन प्वाइंटिंग

10. प्रशासन को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार इस पुनर्संरचना से उत्पन्न अतिरिक्त पदों को पिन प्वाइंट करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बहरहाल उन मामलों में जहाँ पदों की पिन-प्वाइंटिंग के कारण कर्मचारी को किसी अलग स्टेशन पर अपग्रेड किए गए पदों पर इयूटी ज्वाइन किया जाना अपेक्षित हो तो ऐसे कर्मचारियों को कुछ समय के लिए जहाँ हैं, जैसा है, के आधार पर अपग्रेडेशन/पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए और उसे पदोन्नति आदेश जारी होने की तारीख से छह माह के भीतर नए स्टेशन पर पिन प्वाइंट किए गए पद पर ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए परन्तु इसके लिए प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष को संतुष्ट होना चाहिए।

पदोन्नति को अस्वीकार करना

11. ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने इन आदेशों के जारी होने से पहले पदोन्नति लेने से मना किया हो और जिन पर पदोन्नति के लिए रोक लगा दी गई हो, यदि वे लिखित में यह इंगित करें कि वे 01.09.2016 को मौजूद रिक्तियों और उस तारीख को पुनर्संरचना के कारण होने वाली रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं तो एक बारगी अपवाद के रूप में विद्यमान प्रावधानों में छूट देते हुए उन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए, यह छूट 01.09.2016 के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी।

मैचिंग बचत

12. पुनर्संरचना की समूची योजना स्व-वित्तपोषी हो और उसमें अतिरिक्त व्यय न हो। वित्तीय निहितार्थों का आकलन करने के लिए मध्य-मूल्य की गणना करने के लिए उठाए जाने वाले कदम नीचे दिए गए हैं:-

कदम 1 : पाचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान का मध्य-मूल्य लिया जाए।

कदम 2 : रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/1/आरएसआरपी/1 के तहत परिपत्रित फिटमेंट तालिका के अनुसार प्रत्येक पद के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार तदनुसूची मूल वेतन + ग्रेड वेतन को लिया जाए।

कदम 3 : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में परिवर्तन के प्रयोजन के लिए कदम 2 के अनुसार प्राप्त मान को 2.57 से गुणा किया जाए। इस पत्र के अनुलग्नक 'क' पर वित्तीय निहितार्थों का आकलन करने के लिए मध्यमान की गणना करने का एक उदाहरण दिया गया है।

12.1 वित्तीय निहितार्थों का आकलन करने के बाद मैचिंग सेविंग इसी कैटेगरी से ही की जानी चाहिए। जहाँ उसी कैटेगरी से ऐसा करना संभव न हो वहाँ मंडल/जोनल स्तर पर उसी विभाग से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। परन्तु पदों के संशोधित प्रतिशत वितरण के अनुसार संवर्ग की संशोधित पुनर्संरचना करने से पहले मैचिंग सेविंग को सुनिश्चित किया जाना होगा और यदि विभाग/रेलवे मैचिंग सेविंग मुहैया कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो ऐसी कैटेगरी/विभाग की पुनर्संरचना नहीं की जाएगी। समकक्ष वित्तीय मूल्य के पदों को

5
27/2017

सरेण्डर करते समय पुनर्संरचना की लागत/पुनर्संरचना की वित्तीय लागत को संतुलित करने के प्रयोजन के लिए इसे प्रभावी किए जाने की तारीख को इन कैटेगोरियों में मौजूद रिक्त पदों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बोर्ड चाहता है कि महाप्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना अपवाद और कठिनाई के मैचिंग सेविंग के साथ पुनर्संरचना शीघ्र कार्यान्वित की जाती है। पदों को सरेण्डर करके मैचिंग बचत किए बिना कोई पुनर्संरचना नहीं की जाएगी।

12.2 इन आदेशों के अनुसार पदों का संशोधित प्रतिशत वितरण, 01.09.2016 को संवर्ग के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के आधार पर किया जाएगा। सरेण्डर स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में से किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप संवर्ग में होने वाले असंतुलन/घट-बढ़ की अगले वार्षिक समीक्षा के समय समीक्षा की जाएगी।

इसे रेल मंत्रालय के स्थापना निदेशालय के साथ परामर्श करके और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

संलग्न: अनुलग्नक 'क'


(रवीन्द्र कुमार)
निदेशक, वेतन आयोग, II
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-III/2016/सीआरसी/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2016

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित


कृते वित्त आयुक्त/रेल

सं. पीसी-III/2016/सीआरसी/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सलाहकार सभी भारतीय रेलें, सीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू, आईसीएफ, रेल व्हील फैक्टरी/बंगलोर, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, आरसीएफ/कपूरथला, आरसीएफ/रायबरेली प्रोजेक्ट, एमटीपी(आर) चेन्नै और मुंबई, मेट्रो रेलवे (कोलकाता), कॉफ़मो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली और कोर/इलाहाबाद।
2. महाप्रबंधक (कांस्टी.) एवं वित्त सलाहकार एवं महा लेखा परीक्षक नॉर्थइस्ट फ्रांटीयर रेलवे गुवाहाटी और दक्षिण रेलवे, बंगलोर।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
5. अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कोऑपरेशन, नई दिल्ली।

6. अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, जम्मू, गुवाहाटी, गोरखपुर, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और त्रिवेन्द्रम।
7. महाप्रबंधक, कोर/इलाहाबाद।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), कॉफ़मो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क) म.प.प. (रेलवे) मुंबई, (ख) म.प.प. (रेलवे) चेन्नई।
10. मुख्य खनिज सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद।
11. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण), मध्य रेलवे, मुंबई।
12. महासचिव, आईआरसीए, डीआरएम ऑफिस काम्प्लेक्स, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
13. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, लाजपत राय मार्केट/दिल्ली।

(रबीन्द्र कुमार)
निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-III/2016/सीआरसी/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 2) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 3) राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- 4) सेक्रेटरी जनरल फ़ोआ।
- 5) सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- 6) अध्यक्ष, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- 7) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।
- 8) सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन।
- 9) सचिव, रेलवे बोर्ड नॉन-मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, इरपोएफ।
- 11) सचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(कृते सचिव, रेलवे बोर्ड)

6
27/2017

अनुलग्नक 'क'

कोटि	पांचवे केन्द्रीय वेतन के अनुसार वेतनमान (रुपया)	वेतनमान का मध्य-मूल्य (रुपया)	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना के अनुसार मध्य-मूल्य (कॉलम 3 x 1.86) + ग्रेड पे	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार 2.57 के कारक को लागू कर अंतिम मध्य-मूल्य
			पीबी	ग्रेड पे (रुपया)		
वरिष्ठ तकनीशियन	5000-8000	6500	पीबी-2	4200	16290	41865
तकनीशियन-I	4500-7000	5750	पीबी-1	2800	13500	34695
तकनीशियन-II	4000-6000	5000	पीबी-1	2400	11700	30069
तकनीशियन-III	3050-4590	3820	पीबी-1	1900	9010	23156